

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या ...1220.../भू अ०

दिनांक : 31/7/2024

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-चितरपुर, थाना-देवघर, थाना सं०-91, अंचल-देवीपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना चांदडीह-तिलौना पथ भाया सिमरा, खसपेका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद, कथारी पथ का पुनर्निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-चितरपुर, थाना-देवघर, थाना सं०-91, अंचल-देवीपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.23 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7	997	रैयती	बाड़ी-2	0.01	भागवत गोसाई पे० स्व० झगरू गोसाई सा० तिलौना।	अर्जित रकवा का अंश	अर्जित रकवा का अंश	नाला	मौजा फुटा बांध, थाना संख्य T-90
2	7	998	रैयती	बाड़ी-2	0.04	केदार गोसाई पे० स्व० माथुर गोसाई वो बुधन गोसाई वो मोहन गोसाई पे० स्व० भूपत गोसाई सा० तिलौना।				
3	7	1003	रैयती	बाड़ी-2	0.12	भागवत गोसाई पे० स्व० झगरू गोसाई वो केदार गोसाई पे० स्व० माथुर गोसाई वो बुधन गोसाई वो मोहन गोसाई पे० स्व० भूपत गोसाई सा० तिलौना।				
4	9	999	रैयती	बाड़ी-2	0.05	हिरामन गोसाई वो सरदार गोसाई वो गिरीश गोसाई वो पंचानन्द गोसाई वो हरेराम गोसाई पे० स्व० वासुदेव गोसाई वो विजय गोसाई वो बलभद्र गोसाई वो बाकृष्ण गोसाई पे० स्व० रीतलाल गोसाई वो मदन गोसाई वो पवन गोसाई पे० स्व० उगन गोसाई अंश समाना सा० तिलौना।				
5	9	1000	रैयती	बाड़ी-2	0.05	तथैव।				
6	15	994	रैयती	बाड़ी-2	0.04	उगनी देवी पति स्व० अर्जून महतो वो अंग्रेज महतो वो चन्द्र यादव पे० स्व० डहरू महतो वो खीरा महतो वो केलू महतो पे० स्व० उत्तीम महतो वो भुनेश्वर महतो पे० स्व० सीतो महतो वो राधिका देवी पे० स्व० रामेश्वर महतो वो शिबु यादव पे० स्व० खेदन महतो वो कलकती महतो वो बालेश्वर महतो पे० जुगल महतो अंश समान सा० देह।				

7	15	1006	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
8	15	1002	रैयती	बाड़ी-2	0.07	तथैव।				
9	15	1008	रैयती	धानी-3	0.03	तथैव।				
10	15	1010	रैयती	धानी-3	0.03	तथैव।				
11	15	1014	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
12	15	995	रैयती	बाड़ी-1	0.08	उगनी देवी पति स्व० अर्जून यादव वो अंग्रेज महतो वो चन्दर यादव पे० स्व० डहरू महतो। सा० देह।				
13	15	1007	रैयती	धानी-3	0.03	खीरो महतो वो केलू महतो पे० स्व० उतीम महतो वो भुनेश्वर महतो पे० स्व० सीतो महतो वो राधिका देवी पे० स्व० रामेश्वर महतो सा० देह।				
14	15	1011	रैयती	धानी-3	0.03	शिवू यादव पे० स्व० खेदन महतो वो कलकती महतो वो बालेश्वर महतो पे० स्व० जुगल महतो अंश समान सा० देह।				
15	15	1018	रैयती	बाड़ी-2	0.11	तथैव।				
16	22	1022	रैयती	बाड़ी-2	0.12	पाण्डु हेम्ब्रम पे० स्व० समर हेम्ब्रम वो गणेश हेम्ब्रम पे० स्व० काजर हेम्ब्रम वो हुरनी देवी पति स्व० प्रकाश हेम्ब्रम वो नरेश हेम्ब्रम वो मितुन हेम्ब्रम पे० स्व० गोविन्द हेम्ब्रम वो सुमेश्वर हेम्ब्रम पे० स्व० जोती हेम्ब्रम वो हाकिम हेम्ब्रम पे० स्व० केलु हेम्ब्रम वो विशु हेम्ब्रम पे० स्व० परमेश्वर हेम्ब्रम वो कैसर हेम्ब्रम पे० स्व० शिवु हेम्ब्रम सा० देह।				
17	22	1019	रैयती	बाड़ी-2	0.13	तथैव।				
18	22	1020	रैयती	बाड़ी-2	0.10	तथैव।				
19	22	1048	रैयती	धानी-3	0.01	हुरनी देवी पति स्व० प्रकाश हेम्ब्रम वो नरेश हेम्ब्रम वो मितुन हेम्ब्रम पे० स्व० गोविन्द हेम्ब्रम वो सुमेश्वर हेम्ब्रम पे० स्व० जोती हेम्ब्रम वो हाकिम हेम्ब्रम पे० स्व० केलू हेम्ब्रम वो विशु हेम्ब्रम पे० स्व० परमेश्वर हेम्ब्रम वो कैसर हेम्ब्रम पे० स्व० शिवु हेम्ब्रम। सा० देह।				
20	22	1021	रैयती	बाड़ी-2	0.06	पाण्डु हेम्ब्रम पे० स्व० समर हेम्ब्रम वो गणेश हेम्ब्रम पे० स्व० काजर हेम्ब्रम सा० देह।				
कुल रकवा-					<b>1.23</b>					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर

को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
19.7.21

अपर समाहर्ता  
देवघर  
28.7.21

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 1220 / भू अ०, देवघर, दिनांक 31/7/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
19.7.21

अपर समाहर्ता  
देवघर  
28.7.21

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।